Regarding the mandatory requirement of qualifying TET exams for in-service teachers

श्री जितेंद्र कुमार दोहरे **(**इटावा**) :** माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि आपने प्राइमरी स्कूल्स को बंद कराने की कोशिश की । आपने शिक्षकों की पेंशन बंद कर दी । अब शिक्षकों की नौकरी लेने के लिए टीईटी के द्वारा शुरूआत कर दी ।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस समय बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक दिनांक- 01.09.2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टीईटी के संबंध में दिये गये निर्णय के कारण अत्यन्त ही विकट परिस्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के निर्णय में ये उल्लिखित किया गया है कि टीईटी उनके लिए भी अनिवार्य है जो टीईटी लागू होने (केन्द्र में 23.08.2010 और उत्तर प्रदेश में 29.07.2011) के पूर्व से कार्यरत हैं और यदि दो वर्ष में टीईटी उत्तीर्ण नहीं करते हैं तो उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जायेगी । सम्भवतः आप संज्ञानित भी हों, आज से 25-30 वर्ष पूर्व हुई भर्तियों में योग्यता के जो भी मापदंड निर्धारित किए गए थे, उस समय उन मापदंडों को पूर्ण करते हुए शिक्षक भर्ती हुए थे । जिन शिक्षकों ने अपनी निष्ठा अपने कुशल शिक्षण कौशलों और अनुभव के दम पर तमाम योग्य एवं सुसभ्य, संस्कारित नागरिकों के निर्माण में अहम योगदान दिया, उन शिक्षकों को आज एक लम्बे अरसे के बाद नव निर्धारित पात्रता परीक्षा (शिक्षक पात्रता परीक्षा - TET) को पास करने के लिए अनावश्यक रूप से बाध्य किया जा रहा है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि शिक्षक किसी गरीब घर से नहीं आते हैं, ये शिक्षक गरीब भी होते हैं, ये किसान के बच्चे भी होते हैं । ये भाजपा या कांग्रेस के बच्चे नहीं होते हैं, ये सर्वसमाज के लोगों को पढ़ाते हैं । इनकी नौकरियों पर खतरा पैदा न किया जाए । यह डबल इंजन की सरकार रोजगार छीनना चाहती है । नौकरी छीनना चाहती है । हम लोग चाहते हैं कि आप लोग नौकरी छीनने की कोशिश न करें ।